अनुदान संख्या 80 – लोक सभा
GRANT No. 80 – LOK SABHA

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*1,00,00*	*44,96*	*-55,04*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*54,81*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	854,00,00	854,01,00	595,85,41	-258,15,59
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				257,92,19

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

1. In the voted portion of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2011'' संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	Major Head "2011" Parliament, State/ Union Territory Legislatures				
मू.	O.	85400.00	59608.81	59585.41	-23.40
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-25792.19			

(I) ₹0.07 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "संसद" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "लोकसभा – सदस्य" – ₹9830.53 लाख की बचत (₹30144.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संसदीय दस्तावेज़ों के कम मुद्रण, कम विदेश यात्रा किए जाने, "कम्प्यूटर उपकरण की खरीद के लिए लोक सभा सदस्यों की वित्तीय पात्रता" स्कीम के लिए निधियों की कम आवश्यकता और कोविड–19 महामारी की वजह से विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के कम दौरे होने के कारण हुई।

(खा) "लोक सभा सचिवालय" –

(क) "सचिवालय" – ₹14885.36 लाख की बचत (मार्च 2022 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹52050.13 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एएमसी/कम्प्यूटर उपकरणों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से संसद भवन परिसर में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली और सीसीटीवी के अपग्रेडेशन किए जाने और कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) "संसद टेलीविज़न" – ₹830.68 लाख की बचत (₹1845.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कार्यालय खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और कम सलाहकार रखे जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹0.07 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) Under "Parliament" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Lok Sabha - Members" – saving of ₹9830.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30144.30 lakhs) was due to less printing of Parliamentary Papers, less foreign visits undertaken, requirement of less funds towards the scheme "Financial Entitlement of Members of Lok Sabha for purchase of computer equipment" and less visit of foreign delegations owing to COVID-19 pandemic.

(B) "Lok Sabha Secretariat" –

(a) "Secretariat"– saving of ₹14885.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹52050.13 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) was due to requirement of less funds towards AMC/ procurement of computer equipments, upgradation of Integrated security system and CCTV in Parliament House Complex through M/o Housing and Urban Affairs and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Sansad Television" – saving of ₹830.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1845.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards office expenses and hiring of less consultants owing to COVID-19 pandemic.